

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 28 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹0-50 लाख तक के सकल आवर्त वाले व्यापारियों के लेखाबहियों या अभिलेखों का परीक्षण करके वर्ष 2012-13 के वार्षिक कर निर्धारण हेतु चयनित व्यापारियों की सूचना कर निर्धारण अधिकारियों के Login पर उपलब्ध करा दी गई है। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं -

1. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने Secure Login से व्यास सेन्ट्रल साफ्टवेयर में Login किया जायेगा।
2. Login करने के पश्चात साफ्टवेयर के RC and Assessment menu में R5A Integration के लिंक पर Click किया जायेगा। इसके पश्चात उपलब्ध स्क्रीन में वाणिज्य कर अधिकारी के Login पर Assessment below 25 Lakhs तथा असि0कमि0 के Login पर Assessment below 50 Lakhs के Radio Button पर Click किया जायेगा।
3. इसके पश्चात स्क्रीन पर उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अनुरूप चयनित व्यापारियों की सूची प्रदर्शित हो जायेगी। प्रदर्शित सूची में प्रत्येक व्यापारी का टिन, फर्म का नाम, फर्म का पता तथा अन्तिम स्तम्भ में Generate R-5A का लिंक उपलब्ध होगा।
4. चयनित व्यापारियों की सूची के नीचे निम्न विकल्प उपलब्ध होगा - Transfer to CTO / AC। यदि वर्ष 2012-13 में व्यापारी CTO स्तर का है तथा वर्तमान में AC स्तर का है तथा marking AC द्वारा की गई है, तो उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करते हुए वाद AC से CTO में ट्रांसफर हो जाएगा एवं CTO द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार CTO से AC हेतु वाद ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध है।
5. Generate R-5A के लिंक पर Click करने पर पृथक Pop up में R-5A जनरेट करने हेतु स्क्रीन उपलब्ध हो जायेगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि सम्बन्धित कम्प्यूटर पर Pop up Blocker को Off रखा जाये। सम्बन्धित स्क्रीन में ड्राप डाउन से वाद के प्रकार, सम्बन्धित धारा, नियम का चयन किया जायेगा। समस्त आवश्यक फील्ड की इन्ट्री के पश्चात Save बटन पर Click किया जायेगा।
6. उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अंकित R-5A Verify करने के पश्चात R-5A रजिस्टर में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध हो जायेंगे।

7. इसके पश्चात कर निर्धारण कार्य तथा अस्थायी कर निर्धारण कार्य परिपत्र संख्या-आई0टी0-NIC साफ्टवेयर-2014-15 / 322 / दिनांक 22-07-2014 में दी गई व्यवस्था के अनुसार Online सम्पादित किया जायेगा। उपर्युक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई समस्या / सुझाव हो तो उसे विभागीय सेबसाइट <http://comtax.up.nic.in> के home page पर Feedback Link के माध्यम से अवगत कराया जा सकेगा, जिसके आधार पर मुख्यालय द्वारा समुचित कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त सम्बन्ध में अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।


(मुकेश कुमार मिश्रा)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्र० पत्र संख्या व दिनांक उक्त ::

प्रतिलिपि - ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0 अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(विनय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।